न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—68 / 2020 / 225 (2020 / 00068)

1. रामचन्द्र पुत्र बलदेव, जाति धाकड, निवासी ग्राम पीपरोली, तह0 सरवाड़ जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र शिवजीराम,
2. प्रहलाद पुत्र जगदीश,
3. रामलाल पुत्र राधाकिशन,
4. चन्द्रकांता पत्नि रामेश्वर,

   समस्त जाति धाकड़, निवासी ग्राम पिपरोली, तह0 सरवाड़ जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 14.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 66 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री गजेन्द्रसिंह राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 12.1.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 14.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण / रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए की उपधारा (2) राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नंबर 402 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नबर 439 रकबा 1.06 है0 व खसरा नंबर 440 रकबा 1.10 है0 कायम हुए है, ग्राम पीपरोली में स्थित है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 439 अपीलांट की खातेदारी मं तथा हाल आराजी खसरा नंबर 440 रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के खातेदारी में दर्ज है । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 उनकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 440 में उक्त धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 के तहत अपीलांट की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 439 की भूमि में से रास्ता चाहते है जिसका वह पुश्तैनी समय से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है । उक्त रास्ते के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । अपीलांट उक्त रास्ते को बंद करना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 439 पर अपीलांट द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया

जाकर रास्ते की भूमि को खुलवाया जावे तथा अपीलांट/अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उक्त कदीमी रास्ते पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं करे, न ही उनके आने जाने के रास्ते पर बाधा उत्पन्न करे तथा राजस्व रिकार्ड का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 14.5.2018 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 439 में से रेस्पो0 संख्या 1 से 4/प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 440 में आवागमन हेतु रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 को निस्तारण करने में उक्त प्रावधान में दर्शाये गये तत्वों को नजरअदांज कर बिना किसी प्रकार की जांच किये क्षेत्राधिकार से परे जाकर मनमाना आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। रेस्पो0 नया रास्ता कायम करवाने की अधिकारी नहीं थी जबकि उसकी खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 440 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसका वह वर्षो से उपयोग करते आ रहे है । अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 की उपधारा बी व बी–1 व 2 को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 ने आदेश पारित करने से पूर्व स्वय के स्तर पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की । रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करने के बाद अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि की भौतिक स्थिति को तलब किये जाने बाबत् गिरदावर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया था किन्तु उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में उक्त रिपोर्ट निर्णय दिनांक तक न्यायालय के समक्ष गिरदावर द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई । बिना रिपोर्ट तलब करे अधी0न्याया0 ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट/अप्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का संपूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया । अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 440 में पहुंचने हेतु वर्षो से वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करते आ रहे है जो उसके खेत तक पहुंचने हेतु सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद नवीन रास्ते के आदेश पारित किये गये है । अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकारान द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार का राजीनामा नही किया गया था ऐसी स्थिति में प्रकरण को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत निर्णित नहीं किया जा सकता था । । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद संख्या 113/2017 अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर रेस्पो0 को पाबंद करवाने हेतु निवेदन किया था जिस पर अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया था कि रेस्पो0 अपीलांट की आराजी में किसी प्रकार का रास्ता कायम नहीं करे तथा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को अपीलांट की आराजी में से रास्ते बाबत् आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था । एक ही बिन्दू पर दो अलग आदेश देने का अधी0न्याया0 को अधिकार नहीं था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया तथा

प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थी व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में किया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थी इस कारण अधी0न्याया0 के आदेश की जानकारी नही हो सकी थी । लंबे समय तक अधी0न्याया0 के रीडर से जानकारी करने पर भी प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नही दिये जाने पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त पत्रावली को तलाश कराये जाने पर सर्वप्रथम दिनांक 25.2.2020 को आदेश की जानकारी हुई। तत्पश्चात् निर्णय की प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 440 में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। रेस्पो0 अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 439 की भूमि में से अपनी खातेदारी आराजी में वर्षो से आवागमन करते आ रहे है । अपीलांट ने बदनियति पूर्वक रेस्पो0 का रास्ता बंद कर दिया है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 की मंशा के अनुसार खातेदार की आराजी में आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर रास्ता दिये जाने के प्रावधान है । अधी0न्याया0 ने स्वंय मौके का निरीक्षण किया है तथा गिरदावर हल्का हिंगोनिया से मौका रिपोर्ट तलब कर अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावाली का अवलोकेन किया गया । अपीलांट का कथन है कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विवादित भूमि की भौतिक स्थिति को तलब किये जाने बाबत् गिरदावर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया था किन्तु उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में उक्त रिपोर्ट निर्णय दिनांक तक न्यायालय के समक्ष गिरदावर द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई । बिना रिपोर्ट तलब करे अधी0न्याया0 ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । इस संबंध में पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.7.2017 को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये । तत्पश्चात् अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र जैन ने पॉवर पेश कर जवाब हेतु समय चाहा । उक्त दिनांक को ही अधी0न्याया0 द्वारा गिरदावर हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई । इसके उपरांत पत्रावली लगभग 17 पेशियों तक मौका रिपोर्ट में चलती रही किन्तु गिरदावर हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट अधी0न्याया0 के समक्ष पेश नहीं की गई । दिनांक 14.5.2018 को अधी0न्याया0 ने प्रकरण न्याय

आपके द्वार अभियान 2018 में ग्राम पंचायत हिंगोनिया में रखकर प्रकरण को निर्णित कर प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिसमें यह अंकित किया कि '' पत्रावली में सही न्याय, निर्णय हो सके इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मौका निरीक्षण किया गया । निर्णय में आगे यह भी अंकित किया कि गिरदावर हल्का हिंगोनिया से मौका रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली की गई । '' अधी0न्याया0 को गिरदावरी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट कब प्राप्त हुई इस संबंध में अधी0न्याया0 की आदेशिका में कोई अंकन नहीं है । अधी0न्याया0 को मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत पक्षकारान से आपत्तियां आमत्रित की जाकर पक्षकारान को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा ऐसा न कर प्रकरण को न्याय आपके द्वार अभियान में रखकर सरसरी तौर पर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याय0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.5.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार, सरवाड़ से रास्ते के संबंध में उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 12.1.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर